अध्याय VIII: पर्यटन मंत्रालय

8.1 लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधानों के अनुसार एक संस्था के निर्माण के लिए जारी धनराशि, जिसे बचत बैंक खाते के माध्यम से उपयोग में लाया गया था, पर इंडियन कलिनरी इंस्टिट्यूट, तिरुपति द्वारा अर्जित ब्याज वसूल किया गया तथा सरकारी खाते में जमा किया गया।

पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान इंडियन कलिनरी इंस्टिट्यूट (आईसीआई), तिरुपति को जो कि मंत्रालय के तहत एक स्वायत संस्था है, नोएडा, यूपी में एक शाखा खोलने के लिए ₹91.59 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया। इस संस्थान का निर्माण एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड जिसे पूर्व में नेशनल बिल्डिंगस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के नाम से जाना जाता था के द्वारा निष्पादित किया गया और इस संस्थान का उद्घाटन अप्रैल 2018 में किया गया। मंत्रालय द्वारा आईसीआई को जारी की गई धनराशि तथा आईसीआई द्वारा एनबीसीसी को ट्रांसफर की गई धनराशि के बीच समय का अंतर था। ऐसी अवधि के दौरान बैंक खाते में धनराशि बनी रही। सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, सभी ब्याज अथवा सहायता अनुदान पर प्राप्त अन्य आय भारत की संचित निधि में प्रेषित होनी चाहिए और इसे भविष्य में जारी होने के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। आईसीआई ने ब्याज राशि को भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया था और जब पहली बार इस मामले को मंत्रालय (मई 2018) के पास भेजा गया, कहा कि (जून 2018) यह फंड चालू खाते में रखा गया था और इस पर ब्याज अर्जित नहीं किया गया था। यह बैंक प्रमाण-पत्र के विपरीत था जिसने खाते को बचत बैंक खाते के रुप में दिखाया था। पुनः इस मामले को मंत्रालय के पास (जून 2018) भेजा गया, जिसमें यह स्पष्ट था कि वास्तव में यह बचत बैंक खाता था और ₹2.86 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। मंत्रालय द्वारा (जून 2018) भविष्य में जारी सहायता अनुदान के खिलाफ ब्याज राशि को समाजोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि यह नियमों के अनुरुप नहीं

था। उसके बाद, मंत्रालय ने आईसीआई के साथ ब्याज की वसूली के मामले को आगे बढ़ाया और सूचित (सितम्बर 2018 तथा मार्च 2019) किया कि जुलाई 2018 में ₹2.86 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के खाते में आईसीआई के द्वारा जमा करा दी गई।

इस प्रकार ₹2.86 करोड़ की धनराशि लेखापरीक्षा के आपत्ति पर भारत सरकार के खाते में लाई जा सकी।

8.2 वैट-वापसी के लिए दावा नहीं करना

भारतीय पर्यटन कार्यालय, पेरिस द्वारा कर वापसी का दावा करने के लिए अभिकरण की नियुक्ति में विलम्ब के कारण अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के दौरान €112,590 (₹83.32 लाख) की राशि का वैट वापसी का दावा नहीं कर सकी।

विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों (आईटीओ) को संबंधित देशों के कानूनों के अनुसार, विभिन्न व्यय पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर (वैट) की वापसी का हक है। आईटीओ पेरिस (फ्रांस, स्वीटजरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल पर क्षेत्राधिकार) के अभिलेखों के लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि के लिए वैट की वापसी के लिए दावा नहीं किया गया था। किसी भी कैलण्डर वर्ष के लिए वापसी का दावा त्रैमासिक आधार पर विलम्बत: अगले वर्ष के 30 जून तक किया जा सकता है लेकिन वर्णित अवधि के लिए दावा नहीं किया गया क्योंकि वैट वापसी के लिए दावा करने हेतु नियोजित अभिकरण के साथ करार मई 2016 में समाप्त हो गया था तथा नवीनीकरण/नई नियुक्त जून 2018 तक नहीं हो पाई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जब आईटीओ पेरिस ने (अप्रैल से जून 2016) पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) को विद्यमान अभिकरण के साथ करार के नवीनीकरण हेतु निवेदन किया था, मंत्रालय ने सलाह (जुलाई 2016) दी कि आईटीओ, अभिकरण की सेवाएं लेना बन्द कर दे तथा वापसी का दावा स्वंय करें। जब यह स्पष्ट हो गया कि आईटीओ, पेरिस के पास स्वत: कर वापसी का दावा करने के लिए साधन नहीं है, मंत्रालय ने आईटीओ को एक अभिकरण की नियुक्ति के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने का निर्देश (फरवरी 2017) दिया। आईटीओ, पेरिस को चार अभिकरणों से निविदाएँ प्राप्त हुई तथा उनको मंत्रालय

को अग्रसारित (मई 2017) किया लेकिन नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका तथा €71,811 (₹53.14 लाख) की राशि की वापसी का दावा नहीं किया जा सका।

एक अभिकरण की नियुक्ति के लिए समय पर निर्णय लेने में असफलता को लेखापरीक्षा द्वारा (मार्च 2018) इंगित किया गया था। उसके उपरान्त आईटीओ ने पुन: (मई 2018) नौ अभिकरणों से निविदाएँ आमंत्रित की, मात्र एक अभिकरण (पुराना अभिकरण जिसकी सेवाएँ जुलाई 2016 में बन्द कर दी गई थी) से प्रत्युत्तर प्राप्त किया तथा जून 2018 में मंत्रालय के अनुमोदन से इसकी नियुक्ति की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर वापसी के दावे के लिए एक अभिकरण की नियुक्ति में विलम्ब के कारण, जैसा कि ऊपर वर्णित है, उस वैट की राशि, जिसकी वापसी का दावा आईटीओ नहीं कर पाया, की गणना €112,590 (₹83.32 लाख) है।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि आईटीओ पेरिस को वैट वापसी का दावा स्वत: करने के लिए सलाह (जुलाई 2016) दी गई थी क्योंकि अभिकरण को बहुत अधिक कमीशन का भुगतान किया जा रहा था। अभिकरण के गैर-अंतिमकरण के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि आईटीओ पेरिस द्वारा अग्रसारित प्रारम्भिक प्रस्ताव में अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले शुल्क/कमीशन का उल्लेख नहीं था तथा इसलिए आवश्यक सूचना के अभाव के कारण अंतिम चयन नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक अभिकरण की नियुक्ति जून 2018 में कर दी गई है तथा पेरिस में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के माध्यम से गैर-दावित वैट की वसूली की संभावनाओं की तलाश की जा रही है।

यह उत्तर इस तथ्य के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए कि यद्यपि लागत को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने आईटीओ को वैट की वापसी स्वत: करने के लिए सुझाव दिया था, मंत्रालय यह सुनिश्चित नहीं कर पाया, कि क्या ऐसा करना आईटीओ, पेरिस के लिए व्यवहारिक था। फलत: कार्य को बाह्य स्त्रोत को देना पड़ा था तथा दावा इस दौरान समयातीत हो गया था। यह उल्लेख भी प्रांसगिक है कि अन्य आईटीओ (आईटीओ टोकियो) के द्वारा वैट वापसी के दावे की प्रणाली की अपर्याप्तता को लेखापरीक्षा द्वारा

2016 की संघ सरकार (सिविल) अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 के अध्याय XVIII, पैरा 18.1 में इंगित किया गया था। लेकिन आईटीओ द्वारा कर वापसी का दावा करने में प्रणालीय दुर्बलताओं को ठीक करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए गए जिसके कारण परिहार्य वित्तीय नुकसान हुआ।

वेंकटेश मोहन

(वेंकटेश मोहन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 14 फरवरी 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 14 फरवरी 2020